



OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“आपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा एक अभि0 को 07 वर्ष का साधारण कारावास व 50,000 रू0 अर्थदण्ड एवं 02 अभि0 को 01-01 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 17.03.2022 को वादी ने थाना अजीमनगर पर सूचना दी कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई के साथ गाली गलौज व मारपीट करना जिसकी इलाज को ले जाते समय मृत्यु हो जाना के सम्बन्ध में थाना अजीमनगर पर मु0अ0सं0- 62/22 धारा- 304, 323, 504 भादवि बनाम 1. बुद्धसैन पुत्र नन्हें 2. शीशपाल 3. रामवीर पुत्रगण रामप्रसाद नि0गण नौरंगपुर थाना अजीमनगर, रामपुर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक- 18.07.2024 को मा0 न्या0 जनपद न्यायाधीश, रामपुर द्वारा अभियुक्त बुद्धसैन उपरोक्त को 07 वर्ष का साधारण कारावास व 50,000 रू0 अर्थदण्ड अभि0 शीशपाल एवं रामवीर उपरोक्त को 01-01 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

सजा का विवरण:-

1. बुद्धसैन पुत्र नन्हें नि0नौरंगपुर थाना अजीमनगर, रामपुर को 07 वर्ष का साधारण कारावास व 50,000 रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
2. शीशपाल 3. रामवीर पुत्रगण रामप्रसाद नि0गण नौरंगपुर थाना अजीमनगर, रामपुर को 01-01 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया।



OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर

प्रेस नोट:-



“श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय द्वारा ०१ अभियुक्त को १० वर्ष का कठोर कारावास एवं ०१ अभियुक्त व ०१ अभियुक्ता को ७-७ वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक ०४.१२.२०१८ को वादी ने तहरीरी सूचना दी कि अभियुक्तगण द्वारा वादी की बहन को मारने पीटने व जहर देकर हत्या कारित कर देने के संबंध में थाना पटवाई पर मु०अ०सं०- २४३/१८ धारा- ४९८ए, ३०४बी, ३४ भादवि व ४ दहेज अधिनियम बनाम १.धर्मवीर पुत्र रामकुवर, २.रामकुवर पुत्र उत्तम, ३.सुशील पत्नी रामकुवर निवासीगण ग्राम बकेनिया थाना पटवाई जनपद रामपुर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक- १८.०७.२०२४ को मा० न्यायालय ADJ-१, रामपुर द्वारा अभियुक्त धर्मवीर उपरोक्त को १० वर्ष का कठोर कारावास एवं अभियुक्त रामकुवर व अभियुक्ता सुशीला उपरोक्त को ०७-०७ वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया।

सजा का विवरण:-

अभियुक्त धर्मवीर उपरोक्त को १० वर्ष का कठोर कारावास एवं अभियुक्त रामकुवर व अभियुक्ता सुशीला उपरोक्त को ०७-०७ वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया।

@rampurpolice

रामपुरपुलिस

@रामपुरपुलिस

7839859826